पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

भूतल, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2510/2024/487 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01-10-24

प्रति,

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय :– **श्रीमती सोना साहू, विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य के प्रकरण में पारित माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छ.ग. के आदेश के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।**

संदर्भ :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर का पत्र क्रमांक/793/जि.पं./शिक्षा स्था./2024, दिनांक 27.09.2024।

———0———

कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें श्रीमती सोना साहू की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग–03 के पद पर कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनहत, जिला कोरिया के आदेश क्रमांक/1248/ज.पं./स्था.शि.क.नि./2005, दिनांक 29.07.2005 के द्वारा हुई, उनके द्वारा दिनांक 01.08.2005 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। जनपद पंचायत सोनहत से स्थानांतरित होकर श्रीमती सोना साहू द्वारा दिनांक 06.07.2009 को शा.प्रा.शाला माझापारा, नारायणपुर, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर, छ.ग. में कार्यभार ग्रहण किया गया। श्रीमती सोना साहू द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान प्रदाय किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट अपील प्रकरण क्रमांक W.A 261/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2024 के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1/ **क्रमोन्नति वेतनमान हेतु जारी आदेश–** छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22–2011/1094, दिनांक 02.11.2011 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत ऐसे शिक्षाकर्मियों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान संबंधी आदेश जारी किया गया था।

2/ **क्रमोन्नति वेतनमान हेतु जारी निर्देश को निरस्त किये जाने का निर्देश–** छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244, दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6–35/पंग्राविवि/22–2/2013, दिनांक 17.05.2013 में शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जिसके

कारण क्रमोन्नति वेतनमान हेतु छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22–2011/1094, दिनांक 02.11.2011 की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश क्रमांक/1094, दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है।

3/ **समयमान वेतनमान–** छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/2012/3594, दिनांक 01.05.2012 द्वारा 07 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान 5000–150–20000+अध्यापन भत्ता वेतन की पात्रता होने पर कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक/980/शि./स्था./ज.पं./2013–14, दिनांक 23.07.2013 के द्वारा सहायक शिक्षक (पं.) के पद पर समयमान वेतनमान श्रीमती सोना साहू को प्रदाय किया गया है।

4/ **पुनरीक्षित वेतनमान–** छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6–35/पंग्राविवि/22–2/2013, दिनांक 17.05.2013 के द्वारा शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों को जिनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शिक्षकों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति आदेश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू को सेवा 08 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक/980/116, दिनांक 06.04.2015 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

5/ **क्रमोन्नति वेतनमान नहीं दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्देश–** संचालक, पंचायत संचालनालय के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313, दिनांक 23.09.2019 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू की 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के खंडपीठ द्वारा रिट अपील W.A. No 261/2023 पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर के पत्र दिनांक 800, दिनांक 29.02.2020 को निरस्त करते हुये श्रीमती सोना साहू को समस्त प्रकार के लाभ प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त अदेश को अपास्त किये जाने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक AG/CG/BSP/2024/3539,दिनांक 20.05.2024 द्वारा प्राप्त अभिमत एवं पंचायत संचालनालय के पत्र क्रमांक 246, दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से प्रदाय अनुमति के

आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पुर्नविचार याचिका REVP N0. 147/2024 याचिका दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित करते हुये उक्त पुर्नविचार याचिका को खारिज किया गया।

पुर्नविचार याचिका खारिज होने के पश्चात् अवमानना प्रकरण क्रमांक 662/2024 में पारित आदेश के परिपालन में बजट आबंटन की मांग किये जाने पर पंचायत संचालनालय, छ.ग. के पत्र क्रमांक/447, दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्रदत्त आबंटन के आधार पर उक्त आदेश के पालन करते हुये याचिकाकर्ता श्रीमती सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान एरियर्स राशि रू. 2,87,135/– का भुगतान किया जा चुका है।

विदित हो कि श्रीमती सोना साहू के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत W.A. प्रकरण क्रमांक 261/2023 में पारित निर्णय दिनॉक 28.02.2024 का मुख्य आधार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3/ नया रायपुर दिनांक 10.03.2017 है। जिसके अनुसार ''सहायक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय क्रमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान कि जावे'' का निर्देश प्रसारित किया गया था।

उक्त निर्देश के संबंध में पुनरीक्षण याचिका के दौरान शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त निर्देश पंचायत शिक्षकों पर लागू नही होते तथा उक्त प्रावधानों के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ पंचायत शिक्षकों के शिक्षा विभाग में संविलियन के पश्चात् ही देय होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता को 7 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतन का लाभ दिया जा चुका हैं और 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि पर क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने से एक ही प्रकार के लाभ का दोहराव होगा, जो कि विधि सम्मत नही हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रागीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 दिनांक 17.05.2013 में शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है जिसके कारण क्रमोन्नति वेतनमान हेतु छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22–2011/1094 दिनांक 02.11.2011 की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश क्रमांक 1094, दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा पंचायत संचालनालय छ.ग. के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 दिनांक

23.09.2019 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनॉक 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तर्को को स्वीकार न करते हुए श्रीमती सोना साहू के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय के पश्चात् जिला सूरजपुर सहित प्रदेश भर में 1.50 लाख से अधिक इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन के ऊपर वित्तीय भार पड़ने की स्थिति निर्मित होगी।

अतः संविलियन हो चुके शिक्षाकर्मियों को देय समस्त लाभ के संबंध में विस्तृत व स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं, जिसमें पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों को समेकित किया जावे साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3/नवा रायपुर दिनांक 10.03.2017 को और अधिक स्पष्ट करते हुए कृपया निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करेंगे कि :–

- उक्त निर्देश संविलियन पूर्ण के पंचायत शिक्षकों पर लागू होगे अथवा नहीं?
- संविलियन पश्चात् सहायक शिक्षक (एल.बी.) पर उक्त आदेश लागू होगा या नहीं ? यदि लागू होगा तो सेवा अवधि की गणना किस तिथि से की जावेगी ?

चूँकि यह प्रकरण राज्य शासन की प्रचलित नीति से संबद्ध है, अतः राज्य शासन पर संभावित वित्तीय भार एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. डब्ल्यु.ए. 261/2024 में पारित आदेश दि. 28.02.2024 को अपास्त कराने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन के स्टैण्डिंग कांउसिल के माध्यम से अपील दायर करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

30/11/24

(प्रियंका ऋषि महोबिया)
भा.प्र.से.
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

पृ.क्रमांक / पंचा. / शिक्षा / 2510 / 2024 /488 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01-10-24

प्रतिलिपि:–

1. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/103/जि.पं./शिक्षा.स्था./2024 सूरजपुर, दिनांक 27/09/2024

प्रति,

संचालक,
पंचायत संचालनालय
विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषयः– **श्रीमती सोना साहू विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य** के प्रकरण में पारित माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के आदेश के संबंध में मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ :–

1. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर खण्डपीठ द्वारा रिट अपील W.A N0.261/2023 पारित निर्णय दिनांक 28.02.2024
2. कार्यालय महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का पत्र AG/CG/BSP/2024/3539 दिनांक 20.05.2024
3. पंचायत संचालनालय का पत्र क्र./पंचा/शिक्षा/2510/2024/246 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03.06.2024
4. पुर्नविचार याचिका 147/2024 में पारित अंतिम आदेश 23.07.2024
5. अवमानना याचिका 662/2024 में पारित आदेश 24.06.2024 एवं 29.07.2024
6. पंचायत संचालनालय का पत्र क्र. /पंचा/शिक्षा–100/2024/447 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30.08.2024
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर के पत्र क्र. 800/शिक्षा. स्था./ज.पं./2020 रामानुजनगर दिनांक 29.02.2020

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्रीमती सोना साहू की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया छ0ग0) के आदेश क्रमांक/1248/ज.पं./स्था.शि.क.नि./2005 दिनांक 29.07.2005 **(परिशिष्ट A)** के द्वारा हुई थी। उनके द्वारा दिनांक 01.08.2005 को शिक्षा कर्मी वर्ग 03 के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया छ.ग. से स्थानांतरित होकर श्रीमती सोना साहू द्वारा दिनॉक 06.07.2009 को शासकीय प्राथमिक शाला माझापारा, नारायणपुर जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.) में कार्यभार ग्रहण किया गया।

1. <u>कमोन्नति वेतनमान हेतु जारी निर्देश :–</u> छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22– 2011/1094 दिनांक 02.11.2011 **(परिशिष्ट B)** द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित शालाओं में कार्यरत ऐसे शिक्षा कर्मियों को जिनकी पदोन्नति नही हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चूकी है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान संबधी आदेश जारी किया गया था।

SURAJPUR

2. **क्रमोन्नति वेतनमान हेतु जारी निर्देश को निरस्त किये जाने का निर्देश :–** छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 **दिनांक 17.05.2013** में शासकीय शिक्षको के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है जिसके कारण **क्रमोन्नति वेतनमान हेतु** छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22–2011/1094 **दिनांक 02.11.2011** की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश क्रमांक/1094 दिनांक 02.11.2011 को **दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव** से निरस्त किया गया है।

3. **समयमान वेतनमान :–** छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचायत/प.ग्रा.वि.वि./2012/3597 दिनांक 01.05.2012 **(परिशिष्ट C)** द्वारा 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान. 5000–150–20000 + अध्यापन भत्ता वेतन की पात्रता होने पर कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक/980/शि./स्था./ज.पं./2013–14 **दिनांक 23.07.2013 (परिशिष्ट D)** के द्वारा सहायक शिक्षक पंचायत पद का समयमान वेतनमान श्रीमती सोना साहू को प्रदाय किया गया है।

4. **पुनरीक्षित वेतनमान :–** छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 **दिनांक 17.05.2013 (परिशिष्ट E)** के द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों जिनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें शिक्षकों के **समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान** स्वीकृति आदेश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू की सेवा दिनांक को 08 वर्ष पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक /980/116, दिनांक 06.04.2015 **(परिशिष्ट F)** के द्वारा स्वीकृत किया गया।

5. **क्रमोन्नति वेतनमान नहीं दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्देश :–** संचालक पंचायत संचालनालय 36 सी III ब्लॉक–II द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 दिनांक 23.09.2019 **(परिशिष्ट G)** के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **दिनॉक 30.04.2013** के पश्चात् जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू की 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

संदर्भित आदेश क्र. 1 में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर के संदर्भित आदेश क्र. 07 को निरस्त करते हुए श्रीमती सोना साहू को समस्त प्रकार के लाभ प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश को अपास्त किए जाने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर से संदर्भित पत्र क्र. 02 में प्राप्त अभिमत एवं पंचायत संचालनालय से संदर्भित पत्र क्र. 03 द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय

SURAJPUR

बिलासपुर में पुर्नविचार याचिका दायर की गई। संदर्भित आदेश क्र. 04 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुर्नविचार याचिका दिनांक 23.07.2024 को खारिज कर दी गई।

पुर्नविचार याचिका खारिज होने पश्चात् अवमानना प्रकरण क्र. 662/2024 में पारित संदर्भित आदेश क्र. 05 के परिपालन में आबंटन मांग किए जाने पर संचालक पंचायत द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 06 में प्रदत्त आबंटन के आधार पर उक्त आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता श्रीमती सोना साहू को क्रमोन्नति वेतनमान का एरियर्स राशि रू. 2,87,135 /– का भुगतान किया गया।

विदित हो कि श्रीमती सोना साहू के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत **W.A. प्रकरण कमांक 261/2023** में पारित निर्णय दिनॉक 28.02.2024 का **मुख्य आधार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3/ नया रायपुर दिनांक 10.03.2017** है। जिसके अनुसार ''सहायक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय क्रमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान कि जावे'' का निर्देश प्रसारित किया गया था।

उक्त निर्देश के संबंध में पुनरीक्षण याचिका के दौरान शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सामान्य प्रशसन विभाग का उक्त निर्देश पंचायत शिक्षकों पर लागू नही होते तथा उक्त प्रावधानों के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ पंचायत शिक्षकों के शिक्षा विभाग में संविलियन के पश्चात् ही देय होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता को 7 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतन का लाभ दिया जा चुका हैं और 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि पर कमोन्नति का लाभ दिये जाने से एक ही प्रकार के लाभ का दोहराव होगा, जो कि विधि सम्मत नही हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि **छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 6–35/पंग्राविवि/22–2/2013** दिनांक 17.05.2013 में शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है जिसके कारण **कमोन्नति वेतनमान हेतु** छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22– 2011/1094 दिनांक 02.11.2011 की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश क्रमांक/1094 दिनांक 02.11.2011 को **दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव** से निरस्त किया गया है तथा संचालक, पंचायत संचालनालय, 36 सी III ,ब्लॉक–II द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 दिनांक 23.09.2019 **(परिशिष्ट G) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनॉक 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तर्को को स्वीकार न करते हुए श्रीमती सोना साहू के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।** इस निर्णय के पश्चात् जिला सूरजपुर सहित प्रदेश भर में 1.50 लाख से अधिक इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन के ऊपर वित्तीय भार पड़ने की स्थिति निर्मित होगी।

अतः संविलियन हो चुके शिक्षाकर्मियों को देय समस्त लाभ के संबंध में विस्तृत व स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किया जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं, जिसमें पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों को समेकित किया जावे साथ ही **सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ**

SURAJPUR

10–1/2006/1–3/नवा रायपुर दिनांक 10.03.2017 को और अधिक स्पष्ट करते हुए कृपया निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करेंगे कि :–

- उक्त निर्देश संविलियन पूर्व के पंचायत शिक्षकों पर लागू होगें अथवा नहीं ?
- संविलियन पश्चात् के सहायक शिक्षक (एल.बी) पर उक्त आदेश लागू होगा या नहीं ? यदि लागू होगा तो सेवा अवधि की गणना किस तिथि से की जावेगी ?

निवेदन है कि चूँकि यह प्रकरण राज्य शासन की प्रचलित नीति से संबद्ध है, अतः राज्य शासन पर संभावित वित्तीय भार एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. **डब्ल्यु.ए. 261/2024** में पारित आदेश दि. 28.02.2024 को अपास्त कराने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन के स्टैण्डिंग कांउसिल के माध्यम से अपील दायर करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित।

27/9/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर,(छ.ग.)

प्र.क्रमांक/7414/जि.पं./शिक्षा.स्था./2024 सूरजपुर, दिनांक 27/09/2024

प्रतिलिपिः–

1. **कलेक्टर**, जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. **जिला शिक्षा अधिकारी,** जिला सूरजपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) को अवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर,(छ.ग.)

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Judgment Reserved on :12/12/2023

Judgment delivered on :28/02/2024

WA No. 261 of 2023

- Smt. Sona Sahu W/o Shri Ram Niwas Sahu, Aged About 36 Years, Occupation Service, Posted as Assistant Teacher at Government Primary School, Narayanpur, District Surajpur (C.G.)

---- Appellant

Versus

1. State of Chhattisgarh Through The Secretary School Education Department, (E) and (T), Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Naya Raipur, Revenue and Civil District Raipur (C.G.)
2. State of Chhattisgarh Through Secretary, Panchayat and Rural Development, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Naya Raipur, Revenue and Civil District Raipur (C.G.)
3. District Education Officer, Surajpur, District Surajpur (C.G.)
4. Block Education Officer Ramanujnagar, District Surajpur (C.G.)
5. Zila Panchayat Surajpur Through its Chief Executive Officer, District Surajpur (C.G.)
6. Janpad Panchayat Ramanujnagar Through its Chief Executive Officer, District Surajpur (C.G.)
7. Collector, Surajpur, District Surajpur (C.G.)
8. Director Directorate Public Education, Indrawati Bhawan, Atal Nagar, Naya Raipur, District Raipur (C.G.)

---- Respondents

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

For Appellant	:	Appellant/Petitioner in person along with her husband Mr. Ram Niwas Sahu
For State/Respondent No.1 to 4 and 7, 8	:	Mr. Chandresh Shrivastava, Additional Advocate General
For Respondents No.5 and 6	:	Mr. Ravi Bhagat, Advocate.

Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice

Hon'ble Shri Ravindra Kumar Agrawal, Judge

CAV Judgment

Per Ravindra Kumar Agrawal, J

1. The present appeal has been filed against the order dated 04.05.2023 passed by the learned Single Judge in WPS No.3006 of 2020, whereby the writ petition filed by the appellant has been dismissed. In the writ petition, the

appellant has challenged the order dated 29.02.2020 passed by respondent No.6 whereby the order dated 15.01.2020 by which Kramonnati Vetanman was granted to the petitioner, has been cancelled. The relief claimed in the writ petition is reproduced hereinbelow which is as under:-

> "10.1 That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to issue an appropriate writ/order/direction thereby quashing and setting aside the impugned order dated 29.02.2020 passed by respondent No.6.
>
> 10.2 Any other relief which the Hon'ble Court deems fit in the circumstances of the case may also pleased be granted to the petitioner."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. The brief facts of the case are that the petitioner was initially appointed as Assistant Teacher at Sonahat District Koriya vide order dated 29.07.2005 and she joined on 01.08.2005. Presently she is posted as Assistant Teacher at Govt. Primary School Narayanpur, District Surajpur. She is discharging her duty with utmost sincerity and having length of service of more than 10 years without any interruption. It is the case of the petitioner that the State of Chhattisgarh, Department of Finance and Planning, issued a circular/order on 01.07.2011 regarding Kramonnati Vetanman to the employees and in pursuance thereof various letters/guidelines/orders issued by them for upgradation of the pay scale of the School Teachers and Assistant Teachers (LB) etc. The Department of Panchayat and Rural Development, Raipur, Chhattisgarh, has also issued letter/order/circular on 02.11.2011 regarding the Kramonnati Vetanman after completion of 10 years of service. On 17.05.2013 the Department of Panchayat and Rural Development, Chhattisgarh Government, issued a letter/circular with respect to equalization of the pay scale between Government Teachers and

Teacher (Panchayat) after completion of 8 years in their services. Further vide another letter/circular dated 14.11.2014, the letter/circular dated 02.11.2011 was cancelled on the ground that the pay scale of Teacher (Panchayat) who have already completed 8 years of their service in rural areas, have already been equalized with that of the Government Teachers from the date of 01.05.2013 and therefore, the necessity of passing of the order dated 02.11.2011 does not exist and therefore, the order/circular dated 02.11.2011 is cancelled with effect from 01.05.2013.

It is further case of the petitioner that vide letter/circular dated 10.03.2017 the General Administration Department, State of C.G. issued another letter/circular by which first Kramonnati Vetanman has been sanctioned after completion of 10 years of service and second Kramonnati Vetanman after completion of 20 years of service. The Ministry of School Education Department has also issued letter/circular for grant of Kramonnati Vetanman to the Assistant Teachers on the basis of their seniority in place of promotion. On 06.04.2019, a clarification has also been issued by the School Education Department, State of Chhattisgarh. Since the petitioner has also completed 10 years of her service and therefore, she is also entitled for Kramonnati Vetanman, for which she has submitted her representation before the respondents authorities for grant of same, but the respondent authorities did not consider the representation of the petitioner and therefore, she had earlier filed WPS No.10282/2019 before this Court which was disposed of on 06.12.2019 with direction to the petitioner to make detailed representation to the respondent authorities who shall scrutinize the same and pass suitable order in accordance with the rules governing the field of Kramonnati Vetanman within the stipulated time frame.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

In compliance of the order dated 06.12.2019 the petitioner submitted her representation on 16.12.2019 and after considering the representation of the petitioner the Kramonnati Vetanman was granted to the petitioner vide order dated 15.01.2020. Subsequently, on 29.02.2020, the respondent No.6 has passed another order whereby the order dated 15.01.2020 was reconsidered and cancelled the same on the ground that the petitioner has completed 10 years of her service after 30.04.2013 and she has not been given any promotion and therefore she is not entitled for any Kramonnati Vetanman. Therefore, the order dated 29.02.2020 has been challenged in the present writ petition.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. In the writ petition, respondent No.5 Jila Panchayat Surajpur and respondent No.6 Janpad Panchayat Ramanujganj, District Surajpur have submitted their return and have submitted that in compliance of order dated 01.05.2012 the petitioner and other similarly situated teachers who have completed 7 years of service were granted time scale pay vide order dated 23.07.2013.

They further pleaded that the State of Chhattisgarh, Department Panchayat and Rural Development, issued the order on 17.05.2013 in which the equalized pay scale were granted to the Teacher (Panchayat) who have completed 8 years of service with that of the Government Teachers and thereafter, vide order dated 06.04.2015 the revised pay scale was also sanctioned to the petitioner and other similarly situated employees. On 02.11.2011 the Department of Panchayat and Rural Development has issued another order regarding Kramonnati Vetanman and granted the same to those Shiksha Karmis posted at rural areas and completed 10 years of service but yet

not granted promotion. It is further pleaded by respondent No.5 and 6 that the order dated 02.11.2011 was cancelled by issuing another order dated 14.11.2014 whereby the order dated 02.11.2011 was cancelled with retrospective effect.

It is further submitted that the petitioner and other similarly situated employees have filed WPS No.10282/2019 which was disposed of vide order dated 06.12.2019 directing the petitioner as well as other employees to submit their representation before the concerned authorities. In compliance of the order dated 06.12.2019, when the representation was submitted by the petitioner, she was granted benefit of Kramonnati Vetanman vide order dated 05.01.2020. Subsequently, the answering respondent again scrutinized the matter and found that the petitioner was not entitled for Kramonnati Vetanman as the earlier order dated 02.11.2011 has already been cancelled with retrospective effect.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

They would further submit that the petitioner was granted benefit of time scale pay after completion of 7 years of service and the benefit of revised pay scale after completion of 8 years of service vide order dated 06.04.2015. The mistake committed by the Department can be corrected as and when they came into knowledge of the mistake.

It is further submitted that on 23.09.2019 the State of Chhattisgarh, Directorate of Panchayat had issued a guideline with respect to grant of Kramonnati Vetanman to the teachers who have completed 10 years of service in which it has been clarified that the teachers who have completed 10 years of service after 30.04.2013 and are not granted promotion are not entitled for Kramonnati Vetanman.

4. The respondent/State has adopted the return filed by the respondents No.5 and 6.

5. The petitioner in person would submit that the petitioner has already completed 10 years of service and therefore, she is entitled for Kramonnati Vetanman as she has not been given promotion. She would further submit that according to the circular dated 10.03.2017 the Assistant Teachers would be entitled to get first Kramonnati Vetanman after completion of 10 years of service and second Kramonnati Vetanman after completion of 20 years of service. When the petitioner and other similarly situated employees have filed the writ petition before this Court which was disposed of vide order dated 06.12.2019 and in compliance thereof they submitted their representations before the authorities, the respondent No.6 has rejected the claim of the petitioner vide order dated 29.02.2020 by saying that the order dated 02.11.2011 has already been cancelled with retrospective effect and therefore, the teachers (panchayat) who have completed 10 years of service after 30.04.2013 and who have not granted promotion will not be entitled to get Kramonnati Vetanman, therefore, the decision taken by the authorities are against the circular dated 10.03.2017. The learned Single Judge has erred in not considering that the petitioner has completed 10 years of service but neither has been granted any promotion nor has been granted Kramonnati Vetanman even after completion of 10 years of service.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. On the other hand, learned counsel for the respective respondents have submitted that the circular dated 02.11.2011 has been cancelled vide order dated 14.11.2014 and the circular dated 23.09.2019 issued by the Directorate of Panchayat in which it has been clarified that those teachers who have

completed 10 years of service after 30.04.2013 and who have not been granted promotion, are not entitled for Kramonnati Vetanman, since the petitioner came into service in the year 2005 and has not completed 10 years of service before 30.04.2013, she is not entitled for any Kramonnati Vetanman. Vide order dated 23.07.2013 time scale pay was granted to the petitioner after completion of 7 years of service and therefore, the representation of the petitioner has rightly been rejected by the respondent No.6. Therefore, this petition and appeal is liable to be dismissed.

7. We have heard learned counsel for the parties and perused the documents.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. In the present case the petitioner has challenged the order dated 29.02.2020 whereby the order dated 15.01.2020 by which the Kramonnati Vetanman was granted to the petitioner/appellant was cancelled on the ground that the circular/order dated 02.11.2011 was cancelled with effect from 01.05.2013 by the order dated 14.11.2014 and since the petitioner who has not completed 10 years of her service in the cadre was not entitled for Kramonnati Vetanman and she has been sanctioned revised pay scale equal to the Govt. teachers after completion of 8 years of her service.

9. From perusal of the order dated 15.01.2020 annexed with the writ petition (Annexure-P/13) it appears that while passing the order dated 15.01.2020 the respondent No.6 has considered various circulars/orders issued by the department from time to time, i.e., circulars/orders dated 07.03.2019 (Annexure-P/8), 06.04.2019 (Annexure-P/9), 10.03.2017 (Annexure-P/7), 02.11.2011 (Annexure-P/4) and sanctioned revised pay scale by granting her first Kramonnati Vetanman after completion of 10 years of her service, i.e., with

effect from 01.08.2015. The respondent No.6 suo moto reconsidered the order dated 15.01.2020 and while passing the order dated 29.02.2020 cancelled the order dated 15.01.2020 on the ground that the earlier circular/order dated 02.11.2011 has already been cancelled with retrospective effect from 01.05.2013 and thus, considering that after 30.04.2013 those teachers who have completed 10 years of service and have not promoted are not entitled for Kromonnati Vetanman. While reconsidering the matter, the respondent No.6 has not considered the circular/order dated 10.03.2017 (Annexure-P/7) and 07.03.2019 (Annexure-P/8). From bare perusal of the circular/order dated 10.03.2017 it appears that the State Government has taken a decision to give benefit of first Kramonnati after 10 years and second Kramonnati after 20 years to the Assistant Teachers in view of the earlier circular/order dated 24.04.2006. However, it has been clarified that only the notional pay fixation are to be done and the employees are not entitled for any arrears.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. The petitioner was appointed vide order dated 29.07.2005 and admittedly on 10.03.2017 when the circular/order was issued by the State Government, she has completed her 10 years of service and therefore, she claimed for first Kramonnati Vetanman. It appears from the order dated 29.02.2020 that the respondent No.6 has not considered the circular/order dated 10.03.2017 which is the base of the petitioner's claim that she has completed her 10 years of service and therefore, she is entitled for Kramonnati Vetanman.

11. While considering the pleadings and documents the learned Single Judge has also not considered the circular/order dated 10.03.2017 and the ground was raised by the petitioner before the learned Single Judge. It is not a case of the respondents that the circular/order dated 10.03.2017 is not effective

as on date or the order has been withdrawn by the State Government. If the circular/order dated 10.03.2017 is in existence, the petitioner is certainly be entitled for benefit of the same. True it is that on 14.11.2014 when the circular/order was issued withdrawing the earlier circular/order dated 02.11.2011 with effect from 01.05.2013, the petitioner was not completed 10 years of her service, but on the date of circular/order dated 10.03.2017 she has completed her 10 years of service and is entitled for Kramonnati after completion of 10 years of service.

12. In the result, the writ appeal is allowed. The impugned order dated 04.05.2023 passed by the learned Single Judge is set aside and WPS No.3006 of 2020 is allowed. The order dated 29.02.2020 (Annexure-P/1) passed by respondent No.6 is hereby quashed. The appellant is entitled for all consequential benefits. With these observations, the appeal is allowed.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
(Ravindra Kumar Agrawal)
Judge

Sd/-
(Ramesh Sinha)
Chief Justice

Aadil

③

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agcghc@cg.nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

No. AG/CG/BSP/2024/3539 BY FAX DATED: 17/05/2024

20 MAY 2024

To

The Chief Executive Officer,
Zila Panchayat, District - Surajpur [CG]

Ref- Your letter no. 917/J.P/EDUCATION DEPTT/2024

Sub- Legal Opinion in the matter of Writ Appeal no. 261/2023 [Smt. Sona Sahu Vs. The State of Chhattisgarh].

An opinion has been sought against the order dated 28/02/2024 passed in Writ Appeal no. 261/2023 [Smt. Sona Sahu Vs. The State of Chhattisgarh].

Before the Division Bench of this Hon'ble Court the appellant has challenged the validity and propriety of the order dated 04/05/2023 passed by the Learned Single Judge in WPS no. 3006/2020.

The appellant was initially appointed as Assistant Teacher at Sonhad, District – Korea [CG] and was serving in the Government Primary School Naraypur, District – Surjpur [CG] for more than 10 years. The Service condition of the appellant was governed under the Rules of Panchayat and Rural Development Department.

HARSHIT U.

FFICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agcghc@cg.nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

According to the appellant the cause of Action arose with a dispute that the State of Chhattisgarh Department of Finance and Planning issued a Circular on 01/07/2011 regarding Kramunnati Vetanmaan to the employees. Department of Panchayat and Rural Development, Raipur, Chhattisgarh also issued circular on 02/11/2011 regarding the Kramunnati Vetanmaan. After completion of 10 years of service further vide another circular dated 14/11/2014 the earlier circular dated 02/11/2011 was cancelled on the ground that the pay scale of Teacher, Panchayat who have already completed 08 years of their service in Rural Areas have already been equalized with that of Government Teachers from 01/05/2013 and therefore, the necessity of passing of the order dated 02/11/2011 does not exist, therefore, the order dated 02/11/2011 was cancelled with effect from 01/05/2013.

According to the appellant vide circular dated 10/03/2017 the General Administration Department issued another circular by which Kramunnati Vetanmaan was being sanctioned after completion of 10 years of service and second Kramunnati Vetanmaan after completion of 20 years of service. Further on 06/04/2019 a clarification has also been issued by the School Education Department. Since the Appellant as also completed 10 years of her service, therefore, she is entitled for Kramunnati

Fax : 07752-241303
E-mail : 07752-241354
: agcghc@cg.nic.in

STATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

Vetanmaan for which she has submitted representation before the authorities but when the representation was not considered, she filed a Writ Petition before this Hon'ble High Court numbered WPS no. 10282/2019 which was disposed of with the direction to the petitioner / appellant to make a detailed representation before the authority. Further the representation so submitted by the petitioner / Appellant was rejected on the ground that the petitioner has completed 10 years of service after 03/04/2013 and she has not been given promotion, therefore, she is not entitled for any Kramunnati Vetanmaan.

Against the order dated 28/02/2020 the petitioner/ appellant filed a Writ Petitioner before this Hon'ble Court bearing no. 3006/2020 which was rejected on 04/05/2023 holding that the petitioner has not completed 10 years of service after 03/04/2013, therefore the representation of the petitioner was rightly rejected by the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Ramanujganj, District – Surjpur [CG]. Being aggrieved by the rejection of the writ petition the appellant preferred a Writ Appeal no. 261/2023 which was decided by this Hon'ble court on 28/02/2024 and the same was allowed with an observation that the learned Single Judge has not considered the circular dated 10/03/2017 which entitles the appellant for the benefit of Kramunnati Vetanmaan as she has completed 10 years of service

HARSHIT U.

FICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agcghc@cg.nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

and therefore, she is entitled for first Kramunnati Vetanmaan. The very reason for allowing the Writ Appeal was that the respondent no. 06 has not considered the circular dated 10/03/2017 as well as the learned Single Judge has also not considered the circular dated 10/03/2017. Had it been a case if the authorities as well as the learned Single Judge would have considered the circular dated 10/03/2017 the appellant would have been held to be entitled for Kramunnati Vetanmaan.

The bare perusal of circular dated 10/03/2017 which was filed by the petitioner in WPS no. 3006/2020 as Annexure P/7 would go to show that it was not for the employees of Panchayat Department, the circular is applicable for Assistant Teacher, School Education Department for grant of Kramunnati Vetanmaan. Further, the Counsel for respondent no. 05 & 06 has also filed the order dated 23/09/2019 as Annexure R-6-6 which goes to show that the department of Panchayat has in very clear and loud words have clarified that the employees of the Panchayat Department would be entitled for Kramunnati Vetanmaan only if the employee has completed 10 years of service after 30/04/2013. There is no ambiguity in the circular dated 10/03/2017 it was meant for Assistant Teacher of School Education Department, whereas the present appellant is not an employee of the School Education Department, she was serving in

HARSHIT U.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agcghc@cg.nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

and therefore, she is entitled for first Kramunnati Vetanmaan. The very reason for allowing the Writ Appeal was that the respondent no. 06 has not considered the circular dated 10/03/2017 as well as the learned Single Judge has also not considered the circular dated 10/03/2017. Had it been a case if the authorities as well as the learned Single Judge would have considered the circular dated 10/03/2017 the appellant would have been held to be entitled for Kramunnati Vetanmaan.

The bare perusal of circular dated 10/03/2017 which was filed by the petitioner in WPS no. 3006/2020 as Annexure P/7 would go to show that it was not for the employees of Panchayat Department, the circular is applicable for Assistant Teacher, School Education Department for grant of Kramunnati Vetanmaan. Further, the Counsel for respondent no. 05 & 06 has also filed the order dated 23/09/2019 as Annexure R-6-6 which goes to show that the department of Panchayat has in very clear and loud words have clarified that the employees of the Panchayat Department would be entitled for Kramunnati Vetanmaan only if the employee has completed 10 years of service after 30/04/2013. There is no ambiguity in the circular dated 10/03/2017 it was meant for Assistant Teacher of School Education Department, whereas the present appellant is not an employee of the School Education Department, she was serving in

ICE OF THE ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
BILASPUR

Phone : 07752-241303
Fax : 07752-241354
E-mail : agcghc@cg.nic.in

HIGH COURT CAMPUS
BILASPUR - 495 001
CHHATTISGARH

Panchayat Department. Though it is not in dispute that after 2018 the services of Teachers Serving in Panchayat Department have been now merged in School Education Department but the benefit sought by the appellant is prior to the order of merger of Panchayat Department and School Education Department. The observations made in the Writ Appeal no. 261/2023 that the petitioner / appellant is entitled for the benefit as she has completed 10 years of service deriving from the circular dated 10/03/2017 is not applicable to her.

Therefore, on the basis of the facts in hand and the documents available for perusal, I am of the opinion that the authorities may move a Review Petition for clarification before the Hon'ble Division Bench of this Hon'ble High Court presenting the status that the circular dated 10/03/2017 is not applicable in the case of the appellant.

OPINED ACCORDINGLY

[VINAY PANDEY]
Dy. ADVOCATE GENERAL

HARSHIT U.

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, भूतल, विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(4)

//संशोधित पत्र//

क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2510/2024/२५६ नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.24

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी.एस. 3006/2020 द्वारा श्रीमती सोना साहू विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय के संबंध में।

संदर्भ :–1. महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर का पत्र क./AG/CG/BSP/2024/3539, दिनांक 20.05.2024।

2. कार्यालयीन पत्र कमांक/पंचा./शिक्षा/2510/2024/244, दिनांक 31.05.2024।

———0———

विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें श्रीमती सोना साहू, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर, वि.खं. रामानुजनगर द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर प्रकरण कमांक डब्ल्यू ए. 261/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 में उप महाधिवक्ता, महाधविक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा अभिमत प्राप्त हुआ है।

2/ संदर्भित पत्र कमांक 02 के माध्यम से संशोधित पत्र प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें उप महाधिवक्ता, महाधविक्ता कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त अभिमत के आधार पर मूल प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी.एस. 3006/2020 में नियुक्त प्रभारी अधिकारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पुनर्विचार याचिका दायर करने की कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से पंचायत संचालनालय को अवगत् करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

पृ.क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2510/2024/२५७ नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.24

प्रतिलिपिः–

स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
पंचायत संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

Scanned with CamScanner

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

REVP No. 147 of 2024

1. State of Chhattisgarh Through the Secretary, School Education Department, (E) and (T), Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur, Revenue and Civil District Raipur (C.G.)
2. State of Chhattisgarh Through the Secretary, Panchayat and Rural Development, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur, Revenue and Civil District Raipur (C.G.)
3. District Education Officer, Surajpur, District Surajpur (C.G.)
4. Block Education Officer, Ramanujnagar, District Surajpur (C.G.)
5. Collector, Surajpur, District Surajpur (C.G.)
6. Director, Directorate of Public Education, Indrawati Bhawan, Atal Nagar, Naya Raipur, District Raipur (C.G.)

--- Petitioners

Versus

1. Smt. Sona Sahu W/o Shri Ram Niwas Sahu Aged About 36 Years, Occupation Service, Posted as Assistant Teacher At Government Primary School, Narayanpur, District Surajpur (C.G.)
2. Zila Panchayat Through its Chief Executive Officer, District Surajpur (C.G.)
3. Janpad Panchayat Ramanujnagar Through its Chief Executive Officer, District Surajpur (C.G.)

--- Respondents

(Cause-title taken from Case Information System)

For Petitioners – Mr. Sangharsh Pandey, Govt. Advocate.
For Respondents No.1 – Respondent No.1 in person.
For Respondent No.2 and 3 – Mr. Ravi Bhagat, Advocate on advance copy.

Hon'ble Shri Justice Ramesh Sinha, Chief Justice
Hon'ble Shri Justice Ravindra Kumar Agrawal, Judge
Order on Board

Per Ravindra Kumar Agrawal, J.

23-07-2024

1. This is an application for review of the judgment dated 28-02-2024 passed by this Court in WA No.261 of 2023 (Smt. Sona

Sahu Vs. State of Chhattisgarh and 7 others) whereby the writ appeal filed by the writ appellant was allowed and the order passed by the Single Judge dated 04-05-2023 in the WPS No.3006 of 2020 was set aside and it was further ordered in the writ appeal that the order dated 29-02-2020 (Annexure-P/1) passed by the respondent No.6 is quashed and the writ appellant was entitled for all the consequential benefits.

2. The State has filed the present review petition for review of the judgment/order dated 28-02-2024 passed in WA No.261of 2023 by this Court on the ground that the writ appellant was granted benefit of the circular dated 10-03-2017 issued by the General Administration Department, Govt. of Chhattisgarh whereby the benefit of Kramonnati Vetanman was being sanctioned after completion of 10 years of service and second Kramonnati Vetanman after completion of 20 years of service respectively. Thereafter, the clarification was issued by the School Education Department on 06-04-2019 with respect to grant of aforesaid benefits to the Govt. employees. It is also the ground of the review petition that on 23-09-2019 the Department of Panchayat, C.G. Government has clarified that the employees of Panchayat Department would not be entitled for Kramonnati Vetanman if the employee has completed 10 years of service after 30-04-2013. The circular dated 10-03-

2017 was meant for Assistant Teacher for School Education Department whereas, present respondent No.1 (writ appellant) was not an employee of School Education Department, but was an employee of Panchayat Department and therefore, the circular dated 10-03-2017 is not applicable in case of the writ appellant.

3. Learned counsel for the petitioners would submit that the writ appellant was extended benefit of first Kramonnati Vetanman in the year 2012 while she was serving as Shiksha Karmi Grade-III in accordance with the order dated 06-04-2013. However, after absorption of her service in the School Education Department in the year 2018, the benefit of Kramonnati Vetanman would be given as per the circular dated 10-03-2017 which entitles the writ appellant for the benefit of Kramonnati Vetanman as she has completed 10 years of service, therefore, if the writ appellant is extended the benefit of Kramonnati Vetanman, she would be getting double benefit of the same despite completing qualifying service of 10 years under the present establishment. He would also submit that the circular dated 10-03-2017 issued by the GAD is applicable to the employees of School Education Department, whereas the writ appellant is the employee of Panchayat Department and therefore the benefit cannot be extended to her through the circular dated 10-03-2017, but by the

impugned judgment/order dated 28-02-2024 the benefit has been granted to the writ appellant on the basis of said circular dated 10-03-2017 and therefore, there is error apparent on the face of the record and the order impugned may be reviewed.

4. Per contra, the writ appellant/present respondent No.1 appears on advance copy and has submitted that the order impugned is strictly in accordance with law and there is no need to interfere with the same.

5. Learned counsel for the present respondents No.2 and 3 supports the review petitioner and submitted that respondent No.1 is not entitled for any benefit under the circular dated 10-03-2017 as she is the employee of Panchayat Department and not the Education Department.

6. We have heard learned counsel for the parties and perused the order impugned as well as the record of the case.

7. From perusal of the record of the writ appeal also from perusal of the order passed by the learned Single Judge in WPS No.3006 of 2020 it appears that the review petitioners have not raised any such ground at the time of hearing of the writ petition before the learned Single Judge and even at the time of hearing of the writ appeal they have not raised such ground that the writ appellant has already been granted the benefit of Kramonnati Vetanman in the year 2012 and if she would be granted the benefit of Kramonnati Vetanman under the circular

dated 10-03-2017 she would be double benefitted. Further, while passing the order dated 28-02-2024 in the writ appeal it has been considered that while passing the order dated 29-02-2020 the circular dated 10-03-2017 has not been considered which is the basis of claim of the writ appellant as on 10-03-2017 the writ appellant has already completed her 10 years of service.

8. There is no error apparent on the face of the record and the attempt of the review petitioners is to re-agitate the issue which has already been considered and decided by this Court. Even otherwise, the law with regard to review of an order is well settled that a party is not entitled to seek a review of a judgment delivered by a Court merely for the purpose of a rehearing and a fresh decision in the case. Normally the principle is that a judgment pronounced by the Court is final and departure from that principle is justified only when circumstances of a substantial and compelling character make it necessary to do so, which is missing in this case.

9. It is well settled principle of law that the review proceedings are not by way of an appeal and have to be strictly confined to the scope of ambit of Order 47 Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908. Even in exercise of review jurisdiction by the High Court under Article 226 of the Constitution of India, the review petitioners have not produced any ground for review. It

appears that the review petitioners, by presentation of this review petition seeks an opportunity to argue the entire case afresh on merits under the garb of the review petition which is not permissible and tenable in law.

10. It is well settled principle that under the garb of the review petition, the review petitioner should not be permitted to argue the entire case afresh which would amount to convert the review petition into an appeal and the same is not sustainable in law as held by the Hon'ble Supreme Court in cases of **Meera Bhanjan v. Smt. Nirmal Kumar Choudhary**, reported in AIR 1995 SC 455, **Lily Thomas etc. v. Union of India & Others**,reported in AIR 2000 SC 1650, **Ajit Kumar Rath v. State of Orissa & Others**, reported in AIR 2000 SC 85, **Government of T.N. & Others v. M. Ananchu Asari & Others**, reported in (2005) 2 SCC 332 and in the case of **Kerala State Electricity Board v. Hitech Electrothermics & Hydropower Ltd & Others**, reported in (2005) 6 SCC 651.

11. In view of the aforesaid pronouncements of the Hon'ble Supreme Court and that there is no error apparent on the face of the record or pulpable infirmity is prima facie made out by the review petitioners, this review petition is dismissed being devoid of merits.

Sd/-
(Ravindra Kumar Agrawal)
Judge

Sd/-
(Ramesh Sinha)
Chief Justice

Aadil

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

CONT No. 662 of 2024

Mrs. Sona Sahu **Versus** Pardeshi Siddharth Komal Secretary & Others

24.06.2024	Petitioner Ms. Sona Sahu is present in person. Heard. Issue notice to the respondents/contemnors No.5 & 6 by ordinary mode as well as registered mode, as to why contempt proceedings may not be initiated against them for their willful disobedience of the order of this Court dated 28/02/2024 passed in Writ Appeal No.261/2023. Process Fee be paid as per rules. Notice be made returnable within four weeks. List the case on **24/07/2024**. Sd/- **(Naresh Kumar Chandravanshi)** Judge

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Rukhsar

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

CONT No. 662 of 2024

Mrs. Sona Sahu **Versus** Pardeshi Siddharth Komal Secretary & Ors.

29.07.2024	None for the petitioner. Mr. Aditya Kumar Mishra, counsel for the respondent No. 3 & 4. Mr. Ravi Bhagat, counsel for the respondent No. 6. Learned counsel for the respondent No. 6 would submit that within 10 days he will ensure that the order passed by this Court is complied with. Considering the aforesaid submission, list this case on **03rd September, 2024.** **Sd/-** **(Narendra Kumar Vyas)** **Judge**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Bhumika

(76)

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर
विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / पंचा. / शिक्षा–100 / 2024 / 447 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30-08-2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत– सूरजपुर,
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– **शिक्षक (पंचायत) संवर्ग कर्मचारी के न्यायालयीन अवमानना प्रकरण के भुगतान हेतु बजट आंबटन का प्रदाय वर्ष 2024–25।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. / 1572 / जि.पं. / शि.पंचा. / 2024, दिनांक 01.08.2024।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर में दायर अवमानना प्रकरण क्रमांक 662 / 2024 में जवाब प्रस्तुत करने हेतु **श्रीमती सोना साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.)** के संविलियन पूर्व पंचायत विभाग अंतर्गत पदस्थापना अवधि के दौरान **क्रमोन्नति वेतनमान के एरियर्स राशि के भुगतान** हेतु आपके संदर्भित मांग पत्र के अनुरूप संलग्न "परिशिष्ट–एक" में दर्शाये अनुसार कुल राशि रूपये **2,87,135 / – (शब्दों में दो लाख सत्यासी हजार एक सौ पैंतीस रूपये मात्र)** का बजट आंबटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन सौंपा जाता है :–

1. यह केवल आंबटन मात्र है। किसी भी प्रकार के भुगतान की सहमति / स्वीकृति नहीं है।
2. पूर्व वित्तीय वर्षों के देयकों से मिलान एवं परीक्षण कर सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित अवधि के लिए पुनर्भुगतान / आहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है।
3. आहरण / भुगतान के पूर्व छ.ग.कोषालय संहिता एवं छ.ग. वित्तीय संहिता के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा छ.ग.कोषालय संहिता के स.नि. – 268 का कड़ाई से पालन किया जावे।
4. आंबटन के विरूद्ध व्यय वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग–एक एवं दो में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत किया जावे। जिन प्रकरणों में सहमति / स्वीकृति / उच्चतर अभिमत, विभागाध्यक्ष / प्रशासकीय विभाग / वित्त विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हैं, प्रथमतः सहमति / स्वीकृति / अभिमत प्राप्त किया जावे।

5. व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेश–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
6. संचालनालय, लोक शिक्षण छ.ग. द्वारा समय–समय में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
7. गलत/नियम विरूद्ध भुगतान होने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी जिम्मेदार होंगे।
8. देयक से नियमानुसर आयकर एवं अन्य कटौत्रा किया जावे।
9. यदि राशि अधीनस्थ कार्यालयों/अन्य कार्यालयों से आहरण/भुगतान किया जाना है तो नियमानुसार राशि का पुर्नबंटन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
10. पूर्व में एरियर्स राशि का भुगतान किये जाने की स्थिति में प्रदाय आंबटन में से शेष राशि का समर्पण तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
11. किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आंबटन की प्रत्याशा में बजट आंबटन से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
12. जिस प्रयोजन हेतु राशि आंबटित की जा रही है उसी प्रयोजन में नियमानुसार उपयोग किया जाए। अन्य प्रयोजन में व्यय किया जाना प्रतिबंधित है।
13. राशि के उपयोग उपरांत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों एवं वित्तीय निर्देशों का पालन करते हुए भुगतान संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (वित्त)
पंचायत संचालनालय, छ.ग.
नवा रायपुर अटलनगर

पृ.क्रमांक/पंचा./शिक्षा–100/2024/448 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30-08-2024

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर ।
2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर को अवमाना प्रकरण क्रमांक 662/2024 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।

4. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर ।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर ।
6. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, विधि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर ।
7. स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर ।
8. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर, छ.ग.।
9. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– सूरजपुर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. कोषालय अधिकारी, जिला– सूरजपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
12. सर्वसंबंधित.....

..... को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
पंचायत संचालनालय, छ.ग.
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट–एक

शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के एरियर्स भुगतान हेतु बजट आंबटन प्रदाय वर्ष 2024–25

(राशि रूपये में)

क्र.	जिला पंचायत का नाम	बजट मदशीर्ष
		मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2202 सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (197) जनपद पंचायतों को सहायता 0101 राज्य आयोजना सामान्य (8403) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान 14 सहायक अनुदान 001 स्थापना अनुदान
1	2	3
1	सूरजपुर	2,87,135
कुल योग :–		**2,87,135**
(शब्दों में दो लाख सत्यासी हजार एक सौ पैंतीस रूपये मात्र)		

संयुक्त संचालक (वित्त)
पंचायत संचालनालय, छ.ग.
नवा रायपुर अटल नगर

(127)

कार्यालय जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

आदेश

रामानुजनगर दिनांक 29/02/2020

क्रमांक/ 800 /शिक्षा.स्था./ज.प./2020. श्री राजाराम सिंह सहायक शिक्षक एल0बी0, प्राथमिक शाला माझापारा नारायणपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका कमांक WPS NO. 10282/2019 में पारित निर्णय क़ी प्रति संलग्न कर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर याचिकाकर्ता कमांक (08) श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा कमोन्नति वेतनमान प्रदाय किये जाने हेतु जिला पंचायत सूरजपुर में 03.01.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर द्वारा परीक्षण उपरान्त श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक (पं) प्राथमिक शाला नारायणपुर का नियुक्तिकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के पत्र क्र0/6981/ शिक्षा.स्था./जि0पं0/2019–20 दिनांक 08.01.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक WPSNo 10282/2019 के परिपालन में श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक एल0बी0, प्राथमिक शाला नारायणपुर के अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया के आदेश क. 1248/ज.प./स्था.शि.क.नि./2005 दिनांक 29.07.2005 द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति किया गया था, दिनांक 01.08.2005 को श्रीमती सोना साहू द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचायत/प.ग्रा.वि.वि./2012/3597/ दिनांक 01.05.2012 द्वारा 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान. 5000–150–20000 +2500 अध्यापन भत्ता, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 980/शि./स्था./ज.प./2013–14 रामानुजनगर दिनांक 23.07.2013 द्वारा प्रदाय किया गया है एवं 08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200+2400 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 980/116 दिनांक 06.04.2015 के द्वारा प्रदाय किया गया है।

छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22–2011/1094 दिनांक 02.11.2011 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित शालाओं में कार्यरत ऐसे शिक्षा कर्मियों को जिनकी पदोन्नति नही हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चूकी है, के आधार पर कार्यालयीन आदेश कमांक 354/स्था.शिक्षा/ज.पं./2019–2020 रामानुजनगर दिनांक 15.01.2020 द्वारा श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक एल.बी. (तात्कालिन सहायक शिक्षक पंचायत) प्रा.शा. नारायणपुर का कमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था।

प्रकरण का पुनः परीक्षण करने पर पाया गया, कि छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश कमांक एफ–6–36/पंचा.गा.वि.वि./22–2013 रायपुर दिनांक 17.05.2013 द्वारा आठ वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को दिनांक 01.05.2013 से (शासकीय शिक्षको के समतुल्य) वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा–411/पंग्राविवि/22/2014 /8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान संबंधी जारी विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.04.2013 के पश्चात जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष पूर्ण हुई है, तथा उनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हे कमोन्नति की पात्रता नही आती है, श्रीमती सोना साहू को पात्रतानुसार आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय शिक्षकों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200+2400 स्वीकृत किया गया है।

अतः कार्यालयीन आदेश कमांक 354/स्था/शिक्षा/ज.पं./2019–2020 रामानुजनगर, दिनांक 15.01.2020 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक/एफ/2/03/2018/20–दो दिनांक 30.06.2018 के परिपालन में उपरोक्त कर्मचारियों को 01 जुलाई 2018 स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने से सेवा शर्तें शिक्षा विभाग के नियमों के अधीन होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रामानुजनगर
जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

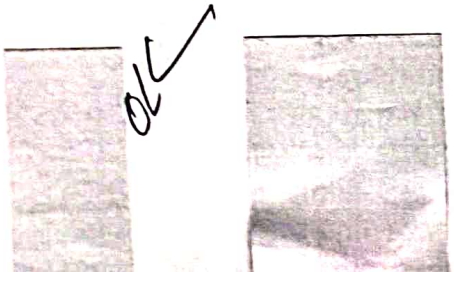

(128)

क्र. 801 /शिक्षा.स्था./ज.प./2020 रामानुजनगर, दिनांक 21.02.2020

प्रतिलिपिः–

1. महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय परिसर बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव छ0 ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव छ0 ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय महानदी भवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संचालक पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन अटलनगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर महोदय जिला–सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला–सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला–सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. उप संचालक (स्थानीय निधि संपरीक्षा) अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
9. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
10. सबंधित श्रीमती सोना साहू स.शि. एल.बी. प्रा.शा. नारायणपुर जिला सूरजपुर एवं शेष अन्य 27 याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर याचिका कमांक WPS NO. 10282/2019) को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रामानुजनगर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय जनपद पंचायत सोनहत ,जिला — कोरिया (छ.ग.)

—: आदेश :—

सोनहत दिनांक 29.07.2005

क्रमांक / / 1246 / ज.पं. / स्था.शि.क.नि. / 2005 / :— कार्यालीन आदेश क्रमांक 955 / ज.पं. / शि.क.नि. / 2005 / सोनहत दिनांक ,17.06.05 के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध कार्यभार ग्रहण नही करने वाले एवं शि.क.वर्ग—2 में नियुक्त होने के फलस्वरूप शिक्षाकर्मियों के रिक्त पदस्थापना पर प्रतीक्षा सूची से शिक्षाकर्मी वर्ग—3 के पद पर वेतनमान 2700—50—3700 पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित संस्थाओं में. पदांकित किया जाता है।

क्र.	उम्मीदवार का नाम / पिता / पति का नाम व पूरा पता	पदांकित संस्था का नाम	विभाग नाम
1	श्री सुरेश कुमार शर्मा / श्री जवाहर शर्मा ग्राम व पोस्ट कसरा	उन्न.प्रा.शा. बिरोरीडांड	आ.जा.क.
2	श्री रवि कुमार पाण्डेय / श्री हलधर नारायण पांडेय ग्रा. घुघरा पो.कटगोड़ी	मा.शा.घुघरा	शिक्षा
3	श्री विनोद कुमार मिश्रा / श्री गोपाल मिश्रा ग्रा व पो.सोनहत	उन्न.प्रा.शा. ठकुरडभ्थी	आ.जा.क.
4	कुमारी श्वेता गुप्ता / स्व.श्री बी.एल.गुप्ता प्रेमाबाग बैकुण्ठपुर कोरिया	उन्न.प्रा.शा. खोडरी	आ.जा.क.
5	श्री रूपेश कुमार सिंह / श्री अशोक सिंह ग्राम व पो.पटना	उन्न. प्रा.शा. अमृतपुर	आ.जा.क.
6	कुमारी बैशाली सिंह / श्री अरूण सिंह ग्राम नौगई पो.कटगोडी	उन्न.प्रा.शा. हरिजनपारा कटगोडी	आ.जा.क.
7	कुमारी सविता राजवाडे / श्री राजेश्वर प्रसाद ग्राम कटकोना पो.कटकोना	प्रा.शा.[illegible]	आ.जा.क.
8	श्री हरिकेश्वर सिंह / श्री समुंदरराम ग्रा.व पो. नवापारा ,सरगुजा	प्रा.शा.[illegible]	आ.जा.क.
9	कुमारी सोना साहु / श्री अर्जुन राम साहु ग्राम व पोस्ट कटगोडी	उन्न. प्रा.शा. बिरोरीडांड	आ.जा.क.

नियुक्ति की शर्ते

1. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिटप्रीटिशन न.1851/2005 व डब्ल्यू .पी. नम्बर 1893 /2005 पारित निर्णय के अधीन रहेगा। एवं उक्त निर्णय नियुंक्त उम्मीदवारों पर बधनकारी रहेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर पुनः 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा बढायी जा सकती है। परंतु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा 5 वर्ष से अधिक नही बढायी जा सकेगी। इस दौरान कार्य के मूल्यांकन असंतोष जनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. यह नियुक्ति शाला विशेष के लिये है। 3 वर्ष तक इसी शाला मे पदस्थ रहकर कार्य करना होगा। इस अवधि मे अंयत्र स्थानांतरण नही किया जा सकेगा।
4. नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय बिना कारण बताये 1 माह के पूर्व नोटिस यां 1 माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त कर सकेगा। या नियुक्त शिक्षा कर्मी द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना देकर या 1 माह का वेतन जमा करा कर पद त्याग कर सकेगा।
5. नियुक्त शिक्षा कर्मी को दिनांक.06/08/2005 तक संबंधित शाला में कार्य भार ग्रहण करना होगा। नियत तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा
6. एक माह के भीतर जिला चिकित्सालय कोरिया के मेडीकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. पदोन्नति के लिये छ.ग शिविल सेवा (पदोन्नति) में आरक्षण तथा विचारण के क्षेत्र के [illegible] की सीमा नियम 1977 के उपबंध तथा आवश्यक परिवर्तन सहित शिक्षा कर्मी के पदोन्नति के लिये लागू होगें।
8. शिक्षाकर्मी यथा स्थिति जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण रहेगें।
9. प्रत्येक वर्ष के अंत मे जनपद पंचायत द्वारा शिक्षा कर्मी के कार्यो का आंकलन किया जावेगा।
10. नियुक्त शिक्षा कर्मी को पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया द्वारा जारी संतोषप्रद चरित्रप्रमाण [illegible] मान्य होगें।

11. चयन प्रकिया में छ.ग लोकसेवा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजातियों ,और अन्य पि.वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधो के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। आरक्षण यथा स्थिति जनपद पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार किया गया है।
12. छ.ग पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 1997 की अन्य समस्त शर्तें लागू होगीं।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत सोनहत 29/07/05
जिला –कोरिया (छ.ग)

पृ.क्र./1249/ ज.प./शि.क.नि./ 2005/ सोनहत दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन,सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर।
2. प्रमुख सचिव छ.ग शासन ,अ.जा./अ.ज.जा./ एवं अन्य पि.वर्ग [illegible] विभाग रायपुर।
3. सचिव,छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर।
4. कलेक्टर जिला–कोरिया बैकुंठपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया।
6. जिला शिक्षा अधिकारी ,जिला कोरिया।

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर

//आदेश//

[illegible] 02/11/[illegible]

[illegible] /पंग्राविवि/22/2011 [illegible] राज्य शासन छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं हुई है और [illegible] [illegible] पूर्ण हो चुकी है [illegible] अनुसार [illegible] वेतनमान स्वीकृत करता है :—

[illegible]	[illegible] वर्ग	[illegible] वेतनमान	[illegible] वेतनमान
1.	[illegible] – 01	[illegible] 5300–150–8300	[illegible] 6500–200–10500
2.	वर्ग – 02	रूपये 4500–125–7000	[illegible] 5300–150–8300
3.	वर्ग – 03	रूपये 3800–100–5800	रूपये 4500–125–7000

यह आदेश दिनांक 01.11.2011 से प्रभावशील होगा।

उक्त आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

02/11/11

(देवाशीष दास)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/[illegible]/पंग्राविवि/22/2011/1095 रायपुर, दिनांक 02/[illegible]

प्रतिलिपि :—

1. [illegible] मुख्यमंत्री [illegible] शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के एस. भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 01-0[illegible]

क्रमांक / पंचा. / [illegible]विवि / 2012 / [illegible] / राज्य-शासन द्वारा, शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को निम्नानुसार समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	समयमान वेतनमान
1	सहायक शिक्षक (पंचायत)	रू. 5000-150-20000+अध्यापन भत्ता 2500
2	शिक्षक (पंचायत)	रू. 6000-175-25000+अध्यापन भत्ता 3500
3	व्याख्याता (पंचायत)	रू. 7000-200-30000+अध्यापन भत्ता 4500

1/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों, जो स्नातक हैं, उन्हें 01.04.2012 की स्थिति में सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर एवं गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उक्त समयमान वेतनमान देय होगा।

2/ समयमान वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को दिनांक 01.04.2012 से 51 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा। वित्त विभाग की अनुमति से समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की जावेगी। स्पष्ट किया जाता है कि मूल वेतन पर 51 प्रतिशत महंगाई भत्ते की गणना की जायेगी।

3/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग स्नातक सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उक्त दर्शित वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित होंगे, सात वर्ष से अधिक के प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

4/ गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद उपरोक्त वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे तथा दस वर्ष से अधिक की प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगा ।

5/ सात वर्ष से कम सेवा के स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को वर्तमान में दिया जा रहा वेतनमान, अंतरिम राहत सहित पूर्ववत् लागू रहेगा। इन शिक्षकों की सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन पात्रता होगी।

6/ दस वर्ष से कम सेवा के गैर स्नातक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को वर्तमान में दिया जा रहा वेतनमान, अंतरिम राहत सहित पूर्ववत् लागू रहेगा। इन शिक्षकों की दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वे समयमान वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र होंगे।

7/ उक्त समयमान वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के तहत देय होगा :-

1. उपरोक्तानुसार सात वर्ष एवं दस वर्ष की सेवा अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के जिन शिक्षकों ने निरंतर शैक्षणिक कार्य किया हो ।
2. प्रश्नाधीन अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंधित शिक्षक किसी प्रकार से दण्डित न हुआ हो।
3. समयमान वेतनमान पिछले पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर देय होगा। शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंधित शिक्षक की औसत ग्रेडिंग "ख" से कम न हो तथा विचाराधीन अंतिम वर्ष की ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से कम से कम "ख" हो।
4. समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिये जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर [illegible] समिति गठित कर उपरोक्त शर्तों [illegible]

परीक्षण कराया जाये. परीक्षणोपरांत संबंधित जनपद / जिला पंचायत उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने का लाभ दिया जाय।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 98 / 664 / 2012 / वि. / नि. / चार / उस. दिनांक 20 / 04 / 2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 2012 / 3596 रायपुर, दिनांक 01-05-2012

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग / नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति तथा अनु जाति विकास विभाग / नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कार्यालय जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर छग

आदेश

रामानुजनगर दिनांक 23/7/013

कमांक 187 /शिक्षा/स्था/जप/2013.14 छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश कमांक/पंचा/पग्राविवि/2012/3597 रायपुर दिनांक 01.05.12 एवं पत्र कमांक/पचा/211/पग्राविवि/22/2012/2184/रायपुर दिनांक 12.09.12 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में निम्नानुसार सहायक शिक्षक पंचायत की सेवा सात एवं दस वर्ष की पूर्ण करने के फलस्वरूप सामन्य प्रशासन समिति के अनुमोदन कमांक 3 दिनांक 16.07.2013 के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर वेतन मान 3800—100—5800 से समयमान वेतनमान 5000—150—21000 सह अध्यापन भत्ता 2500 एवं शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क0	कर्मचारी कोड	पंचायत शिक्षक का नाम	पदस्थापना विद्यालय का नाम	विभाग		कार्य भार ग्रहण तिथि	समयमान वेतन मान देय तिथि
1	371100372	शिवकेश्वर प्रसाद साहू	प्रा0शा0 पम्पापुर	शिक्षा	हा0से0	24.9.98	01.04.12
2	371100562	तारा देवी	प्रा0शाला कन्या आश्रम शिवपुर	आजाक	हा0से0	23.9.98	01.04.12
3	371100553	बाल कुमारी	प्रा0शाला कन्या आश्रम शिवपुर	आजाक	बीए	23.9.98	01.04.12
4	371100834	रामानारायण सिहं	प्रा0शा0 रामेश्वरम	आजाक	हा0से0	24.9.98	01.04.12
5	371100575	सदर राम	प्रा0शा0कुम्हार पारा पस्ता	आजाक	हा0से0	24.9.98	01.04.12
6	371100067	जय कुमार सिहं	प्रा0शा0 हनुमानगढ	शिक्षा	हा0से0	24.9.98	01.04.12
7	371100165	कुन्तो सिहं	प्रा0शा0 दवना	शिक्षा	हा0से0	24.9.98	01.04.12
8	371100164	राम धन साहू	प्रा0शा0 दवना	शिक्षा	बीए	24.9.98	01.04.12
9	371100206	मारिया गोरोती	प्रा0शा0 कन्या देवनगर	शिक्षा	हा0से0	24.9.98	01.04.12
10	371100105	राजा राम	प्रा0शा0 माझापारा नारायणपुर	आजाक	हा0से0	23.9.98	01.04.12
11	371100759	सुरेन्द्र राम	प्रा0शा0 अगस्तपुर	शिक्षा	बीए	25.9.98	01.04.12
12	371100420	श्रीमती मती सिहं	प्रा0शा0 गोविन्दपुर	शिक्षा	हा0से0	25.9.98	01.04.12
13	371100705	शकुन्तला खैरा	प्रा0शा0 अखुरियापारा	आजाक	हा0से0	28.9.98	01.04.12
14	371100393	फुल सिहं	प्रा0शा0 चिटकाहीपारा कोट	आजाक	बीए	26.9.98	01.04.12
15	371100706	अजमेरू निशा	प्रा0शा0 त्रिपुरेश्वरपुर	शिक्षा	हासे0	10.2.99	01.04.12
16	371100464	राज कुमार सिहं	प्रा0शा0 तेलसरा	शिक्षा	बीए	20.1.05	01.04.12
17	371100103	नरेश कुमार रजवाडे	प्रा0शा0 मदनेश्वरपुर	सर्व शिक्षा	बीए	1.5.05	01.05.12
18	371100143	कल्यानी बिसेन	प्रा0शा0 परमेश्वरपुर	सर्व शिक्षा	एमए	1.5.05	01.05.12
19	371100080	निरंजन प्रसाद कुशवाह	प्रा0शा0 नर्मदापारा भुवनेश्वरपुर	सर्व शिक्षा	बीए	1.5.05	01.05.12
20	371100526	मनी लाल साहू	प्रा0शा0 परसापारा मांजा	सर्व शिक्षा	एमए	1.5.05	01.05.12
21	371100358	जग नारायण साहू	प्रा0शा0 सोनपुर	शिक्षा	एमए	1.5.05	01.05.12
22	371100866	शिव नारायण सिहं	प्रा0शा0नतापारा परशुरामपुर	सर्व शिक्षा	एमए	1.5.05	01.05.12
23	371100057	अमर साय साहू	प्रा0शा0 मदनेश्वरपुर	शिक्षा	बीएससी	1.5.05	01.05.12
24	371100829	सुशीला मिन्ज	उमाशा तिवरागुडी	आजाक	बीए	1.5.05	01.05.12
25	371100312	गंगाराम साहू	प्रा0शा0 कोकडीपारा देवनगर	सर्व शिक्षा	एमए	1.5.05	01.05.12
26	371100007	तिलो खलखो	प्रा0शा0 हरिजनपारा तेलाईमुडा	आजाक	एमए	1.5.05	01.05.12
27	371100306	धनसरी रजवाडे	क0उमाशा रामानुजगर	आजाक	बीए	1.5.05	01.05.12

	371100091	महिमा मिन्ज	प्रा0शा0धुम्मपाढ़ाड बरबसपुर	सशिअ	बी.ए.	30.6.05	30.06.12
	371100863	सुनीता तिग्गा	प्रा0शा0 रामेश्वरम	आजाक	एम.ए.	2.7.05	2.07.12
112	371100844	उर्मीला सिंह	प्रा0शा0 गोकुलपुर	आजाक	एम.ए.	12.7.05	12.07.12
113	371100846	परम दत्त सिंह	प्रा0शा0 गोकुलपुर	आजाक	एम.ए.	21.7.05	21.07.12
114	371100023	सावित्री देवी साहू	प्रा0शा0 नारायणपुर	शिक्षा	एम.ए.	1.8.05	1.08.12
115	371100945	मिथिलेश कमार गुप्ता	प्रा0शा0 घुटरापारा पम्पानगर	आजाक	बी.ए.	1.8.05	1.08.12
116	371100711	पुनीत कुमार गुप्ता	प्रा0शा0 हरिजनपारा त्रिपुरेश्वरपुर	सशिअ	बीएससी	5.8.05	5.08.12
117	371100186	नम्रता साहू	प्रा0शा0 पारपारा सरईपारा	सशिअ	बी.कांम	17.8.05	18.08.12
118	371100276	कमलेश प्रकाश सिंह	प्रा0शा0 घुटरापारा तिवरागुडी	आजाक	हा.से.	20.2.06	20.02.13
119	371100921	कलिस्त सिंह	प्रा0शा0 परशुरामपुर	शिक्षा	बी.ए.	8.5.06	8.05.13
120	371100508	प्रमीला सिंह	प्रा0शा0 राजापुर	शिक्षा	बी.ए.	14.6.06	14.6.13
121	371100669	विनय कुमार सिंहं	प्रा0शा0 बिशुनपुर	शिक्षा	बी.ए.	15.6.06	15.6.13
122	371100500	नीतू कमारी	प्रा0शा0 बरपाली बरहोल	सशिअ	एम.ए.	25.6.06	25.06.13
123	371100835	मन्सूर अहमद	प्रा0शा0 साहूपारा लब्जी	सशिअ	बी.कांम	29.6.06	29.06.13
124	371100842	मनोरमा खेरा	प्रा0शा0 डगमलियापारा	सशिअ	हा.से.	30.6.06	30.06.13

यह सुनिश्चित कर लेवे कि समयमान वेतन मान प्रदाय किये जा रहे सहायक शिक्षक पंचायत के विरूद्ध कोई विभागीय जांच संस्थित न हो निलम्बन न हो अथवा दण्डित न हो अन्यथा समयमान वेतनमान देय नहीं होगा।

23/7/13

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रामानुजगर

पृ0 कमांक/ 681 शिक्षा/स्था/2012.13 रामानुजगर दिनांक 23/7/13

प्रतिलिपि:-

1. सचिव छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त सह संचालक संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. माननीय अध्यक्ष /उपाध्यक्ष महोदय जनपद पंचायत को सादर सूचनार्थ ।
5. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सूरजपुर को सूचनार्थ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर को सूचनार्थ ।
7. जिला परियोजना समन्वयक राजीव गाधी शिक्षा मिशन जिला सूरजपुर को सूचनार्थ ।
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजगर को सूचनार्थ ।
9. सबंधित श्री /श्रीमती कुमारी /.. जनपद पंचायत रामानुगर को सूचनार्थ ।

23/7/13

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत रामानुजगर

86

(E)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 17/05/2013

क्रमांक एफ 8-38/पंग्राविवि/22-2/2013 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रिपरिषद् के आदेश (आयटम क्रमांक-28) दिनांक 11 मई 2013 के परिपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में 8 (आठ) वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 01.05.2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत करता है:-

क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	व्याख्याता (पंचायत)	रू. 5300-150-8300	रू. 9300-34,800+ 4300
2.	शिक्षक (पंचायत)	रू. 4500-125-7000	रू. 9300-34,800+ 4200
3.	सहायक शिक्षक (पंचायत)	रू. 3800-100-5800	रू. 5200-20,200+ 2400

उपरोक्त वेतनमान पर शासकीय शिक्षकों के समतुल्य भत्तों की पात्रता होगी।

2/- शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवाकाल की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी। पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के लिये दिनांक 01.05.2013 की स्थिति में 8 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रत्येक 2 (दो) वर्ष की पूर्ण सेवा के लिये एक वार्षिक वेतन वृद्धि का बेटेज दिया जायेगा। दिनांक 01.05.2013 के पश्चात् प्रत्येक वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

3/- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 2343 दिनांक 06.05.2013 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

([illegible] दास)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक एफ 8-38/पंग्राविवि/22-2/2013 रायपुर, दिनांक 17/05/2013

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव [illegible]

(f) ५५

कार्यालय जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर छग

–:आदेश :–

क्रमांक / 980/16/शिक्षा/[illegible]/20114.15/ रामानुजनगर दिनांक 6/04/15

[illegible] के आदेश क्रमांक/एफ/6/[illegible]/पंग्राविवि/22 2/2013 छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया [illegible] रायपुर के दिनांक 17.5.2013 के परिपालन में में प्रथम नियुक्ति पर कार्य भार ग्रहण [illegible] तिथि से [illegible] पूर्ण [illegible] नियमानुसार सहायक [illegible] कर्मचारियों को [illegible] [illegible] स्वीकृत किया जाता है [illegible]

	2	3	4	5	खण्ड का नाम 6	कार्य भार ग्रहण तिथि 7	वेतन [illegible] स्वीकृत तिथि 8	[illegible] अवधि कुल [illegible] 9	[illegible] मूल वेतन 10
	371100372	श्री शिव केश्वर प्रसाद साहू	प्राशा पम्पापुर	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
2	371100067	श्री जय कुमार सिंह	प्राशा हनुमान गढ	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
3	371100165	श्रीमती कुन्ती सिंह	प्राशा दवना	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
4	371100164	श्री रामधन साहू	प्राशा दवना	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
5	371100206	श्रीमती मारिया गोरेती कुजूर	प्राशा कन्या देवनगर	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
6	371100759	श्री सुरेन्द्र राम	प्राशा पस्ता	शिक्षा	रामानुजनगर	25.9.98	1.5.13	14	8370+2400
7	371100420	श्रीमती मती सिंह	प्राशा गोविन्दपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	25.9.98	1.5.13	14	8370+2400
8	371100326	श्री हन्स नाथ सिंह	प्राशा तिवरागुडी	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
9	371100789	श्री वंश बहादुर सिंह	प्राशा जगतपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	24.9.98	1.5.13	14	8370+2400
10	530400402	श्रीमती शुशीला सिंह	प्रा0शाला बिशुनपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	4.9.98	1.5.13	14	8370+2400
11	371100706	श्रीमती अजनेरू निशा	प्राशा त्रिपुरेश्वरपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	10.2.99	1.5.13	14	8370+2400
12	371100464	श्री राजकुमार सिंह	प्राशा तेलसरा	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
13	371100358	श्री जगनारायण साहू	प्राशा सोनपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
14	371100057	श्री अमर साय साहू	प्राशा मदनेश्वरपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
15	371100887	श्री नान साय	प्राशा सूरता	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
16	371100015	श्री राकेश सिंह	प्राशा गुरहीपारा सुमेरपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
17	371100375	श्री उर्मिला रवि	प्राशा झारपारा पम्पापुर	शिक्षा	रामानुजनगर	1.5.05	1.5.13	8	7440+2400
18	371100828	श्रीमती रेणु साहू	बा उमाशा रामानुजनगर	शिक्षा	रामानुजनगर	20.6.05	20.6.13	8	7440+2400
19	371100858	श्रीमती विलासो भगत	प्राशा लब्जी	शिक्षा	रामानुजनगर	20.6.05	20.6.13	8	7440+2400
20	371100416	श्रीमती पूजा गुप्ता	प्राशा बा देवनगर	शिक्षा	रामानुजनगर	24.6.05	24.6.13	8	7440+2400
21	371100264	श्री राजाराम साहू	प्राशा धनेशपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	24.6.05	24.6.13	8	7440+2400
22	371100013	श्री रजनीश जायसवाल	प्राशा तेजपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	21.6.05	21.6.13	8	7440+2400
23	371100586	श्रीमती पूनम गुप्ता	प्राशा भवनेश्वरपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	25.6.05	25.6.13	8	7440+2400
24	371100676	श्रीमती [illegible] शर्मा	प्राशा कृष्णपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	25.6.05	25.6.13	8	7440+2400
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	शिक्षा	[illegible]	27.6.05	27.6.13	8	7440+2400
26	371100266	श्री महेन्द्र कुमार राजवाडे	प्राशा धनेशपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	28.6.05	28.6.13	8	7440+2400
27	371100170	श्रीमती अन्जू गुप्ता	प्राशा क0 रामानुजनगर	शिक्षा	रामानुजनगर	28.6.05	28.6.13	8	7440+2400
28	371100023	श्रीमती सोना देवी साहू	प्राशा नारायणपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	1.8.05	1.8.13	8	7440+240
29	371100418	श्रीमती विमला सिंह	प्राशा गोविन्दपुर	शिक्षा	रामानुजनगर	25.6.05	25.6.13	8	7440+240
30	371100117	श्री तिरथ प्रताप सिंह	प्राशा साल्ही	शिक्षा	रामानुजनगर	20.6.05	20.6.13	8	7440+240
31	371100562	श्रीमती तारा देवी	क0आश्रम शिवपुर	आजाक	रामानुजनगर	23.9.98	1.5.13	14	8370+240
32	[illegible]	[illegible] कुमारी	क0आश्रम शिवपुर	आजाक	रामानुजनगर	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]

पंचायत, संचालनालय

ब्लॉक सी III, ब्लाक–II, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक–0771-2221480, फैक्स क्रमांक–0771-2221141,e-mail- dp.cg@nic.in

क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 अटल नगर, दिनांक - 23.09.2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बालोद (छ.ग.)

विषय :– 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक (पं.) संवर्ग को कमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 3159/जि.पं./शिक्षा/2019–20, दिनांक 18.07.2019।।

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी. एस. 1232/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2019, कमांक 4101/2019 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 तथा कमांक 4130/2019 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 में दिये गये निर्देशों के संबंध में कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रकरणों में पारित आदशों में याचिकाकर्ताओं को कमोन्नति वेतनमान प्रदान करने के संबंध में समय सीमा में निर्णय लेकर प्रकरण का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विमाग के आदेश कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 द्वारा ऐसे शिक्षाकर्मियों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें कमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी किये गये थे। 08 वर्ष सेवा पूर्ण सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पं.) संवर्ग को दिनांक 01.05.2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप विमाग के आदेश कमांक/पंचा–411/पंग्राविवि/22/2014/8244, दिनांक 14.11.2014 द्वारा कमोन्नति वेतनमान संबंधी जारी विमागीय आदेश दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 14.11.2014 को और अधिक स्पष्ट करते हुये विमाग के पत्र कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2015/37, दिनांक 28.04.2015 द्वारा लेख किया गया है कि कमोन्नति आदेश दिनांक 30.04.2013 तक प्रभावशील रहा है। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष पूर्ण हुई है तथा उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें कमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरणो में पारित आदेशों का समय सीमा में निराकरण करने की कार्यवाही की जाये।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

पृ. क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/314 अटल नगर, दिनांक - 23.09.2019
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विमाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/4059/ज.पं./शिक्षा स्था./2024 रामानुजनगर, दिनांक 13/09/2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर

विषयः– श्रीमती सोना साहू विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य के प्रकरण में पारित माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, के आदेश के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

संदर्भ :– 1.माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर खण्डपीठ द्वारा रिट अपील W.A N0. 261/2023 पारित निर्णय दिनांक 28.02.2024
2. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिव्यु पिटीशन क्रमांक 147/2024 में पारित निर्णय।

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

श्रीमती सोना साहू की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया छ0ग0) के आदेश क्रमांक/1248/ज.पं./स्था.शि.क.नि./2005 दिनांक 29.07.2005 (परिशिष्ट C) के द्वारा हुई थी। उनके द्वारा दिनांक 01.08.2005 को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया छ.ग. से स्थानांतरित होकर श्रीमती सोना साहू द्वारा 06.07.2009 को शासकीय प्राथमिक शाला माझापारा नारायणपुर जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.) में कार्यभारत ग्रहण किया गया।

क्रमोन्नति वेतनमान हेतु जारी निर्देशः–

छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22–2011/1094 दिनांक 02.11.2011 (परिशिष्ट D) द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित शालाओं में कार्यरत ऐसे शिक्षा कर्मियों को जिनकी पदोन्नति नही हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चूकी है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान संबधी आदेश जारी किया गया था। जो इस प्रकार है–

क0	शिक्षा कर्मी वर्ग	वर्तमान वेतनमान	क्रमोन्नति वेतनमान
1	वर्ग 1	5300–150–8300	5800–200–10800
2	वर्ग 2	4500–125–7000	5300–150–8300
3	वर्ग 3	3800–100–5800	4500–125–7000

क्रमोन्नति वेतनमान हेतु जारी निर्देश को निरस्त किये जाने का निर्देश–

छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 दिनांक 17.05.2013 में शासकीय शिक्षको के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है जिसके कारण क्रमोन्नति वेतनमान हेतु छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22–

Scanned with OKEN Scanner

2011/1094 दिनांक 02.11.2011 की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश कमांक 1094 दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है।

समयमान वेतनमानः–

छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/पंचायत/प.ग्रा.वि.वि./2012/3597 दिनांक 01.05.2012 **(परिशिष्ट E)** द्वारा 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान. 5000–150–20000 + अध्यापन भत्ता वेतन की पात्रता होने पर कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक/980/शि./स्था./ज.पं./2013–14 दिनांक 23.07.2013 **(परिशिष्ट E)** के द्वारा सहायक शिक्षक पंचायत पद का समयमान वेतनमान प्रदाय किया गया है।

पुनरीक्षित वेतनमानः–

छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 दिनांक 17.05.2013 **(परिशिष्ट F)** के द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों जिनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें शिक्षकों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति आदेश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू की सेवा दिनांक को 08 वर्ष पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक /980/116 ,दिनांक 06.04.2015 **(परिशिष्ट G)** के द्वारा स्वीकृत किया गया।

कमोन्नति वेतनमान नहीं दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्देश :– संचालक पंचायत संचालनालय 36 सी III ब्लॉक–II द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 दिनांक 23.09.2019 (परिशिष्ट H) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान. प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमती सोना साहू की 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर कमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान नही किया गया था।

इस पत्र में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के संदर्भित आदेशों (संदर्भ क्रमांक 1 एवं 2) (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक (तात्कालिक पंचायत शिक्षक वर्ग–3) को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर कमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया गया हैं। जिसके परिपालन में पंचायत संचालनालय के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा–100/2024/447 दिनांक 30.08.2024 एवं जिला पंचायत सूरजपुर के पत्र क्रमांक/2937/शिक्षा लेखा/2024 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा प्राप्त अनुमति के फलस्वरूप श्रीमती सोना साहू को पंचायत अवधि की एरियर राशि का भुगतान कर दिया गया है।

विदित हो कि श्रीमती सोना साहू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत W.A प्रकरण कमांक 261/2023 में पारित निर्णय का मुख्य आधार छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश कमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22– 2011/1094 दिनांक 02.11.2011 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3/ नया रायपुर दिनांक 10.03.2017 है। जिसके अनुसार "सहायक शिक्षकों को प्रथम कमोन्नति 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय कमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान कि जावे" का निर्देश प्रसारित किया गया था।

उक्त निर्देश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त निर्देश पंचायत शिक्षकों पर लागू नही होते तथा उक्त प्रवधानों के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ पंचायत शिक्षकों के शिक्षा विभाग में

संविलियन के पश्चात ही देय होगें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पंचायत शिक्षकों को 7 वर्ष कि अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतन का लाभ दिया जा चुका हैं और 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि पर क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने से एक ही प्रकार के लाभ का दोहराव होगा, जो कि विधि सम्मत नही हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा.–411/पंग्राविवि/22/2014/8244 दिनांक 14.11.2014 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया कि छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ6–35/पंग्राविवि/22–2/2013 दिनांक 17.05.2013 में शासकीय शिक्षको के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है जिसके कारण क्रमोन्नति वेतनमान हेतु छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक/पंचा./प.ग्रा.वि.वि./22– 2011/1094 दिनांक 02.11.2011 की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। जिसके कारण आदेश कमांक 1094 दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा संचालक पंचायत संचालनालय 36 सी III ब्लॉक–II द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/पंचा./शिक्षा/2019/313 दिनांक 23.09.2019 (परिशिष्ट II) के **द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 30.04.2013 के पश्चात् जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हुई है अथवा जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।**

किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तर्कों को स्वीकार न करते हुए श्रीमती सोना साहू के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

यहा यह सूचित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि इस निर्णय के पश्चात विकासखण्ड रामानुजनगर में इस प्रकार के अनेक प्रकरण आने की संभावना हैं। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार के कम से कम 1 लाख 50 हजार से ज्यादा प्रकरण प्रकाश में आने की संभावना है। जिसके परिणाम स्वरूप शासन के उपर वित्तीय भार पड़ने की स्थिति निर्मित होगी। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में विस्तृत व स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किया जाना आवश्यक हैं जिसमें पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों को समेकित किया जावे साथ ही यह भी स्पष्ट किया जावे कि (1) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3/ नया रायपुर दिनांक 10.03.2017 संविलियन पूर्व के पंचायत शिक्षकों पर लागू ~~नही किये जा सकते हैं~~। होंगे अथवा नही।

यह भी निवेदन है कि चूंकि यह प्रकरण राज्य शासन की प्रचलित नीति से सम्बद्ध हैं, जिसके संबंध में जनपद स्तर पर निर्णय लिया जाना संभव नही हैं। अतः व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य स्तर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेशों को अपास्त कराने का प्रयास किया जाना उचित होगा।

(2) संविलियन पश्चात के, सहायक शिक्षक (एल.बी) ~~(पंचायत)~~ पर उक्त आदेश लागू होगा या नही ? यदि लागू होगा तो सेवा अवधि की गणना किस तिथि से की जायेगी ?

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत रामानुजनगर

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 नया रायपुर, दिनांक 10/03/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़.

विषय :– सहायक शिक्षकों को कमोन्नति वेतनमान प्रदाय किए जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.04.2006.

————00————

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा शिक्षक संवर्ग में सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 में निहित शर्तो के अध्यधीन प्रथम कमोन्नति 12 वर्ष बाद तथा द्वितीय कमोन्नति 24 वर्ष बाद प्रदान किया गया है। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 216/सी–2802/10/वित्त/नियम/चार, दिनांक 04.08.2010 (वित्त निर्देश 32/2010) द्वारा कमोन्नति योजना को संशोधित कर शिक्षक तथा व्याख्याता संवर्ग को प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान 20 वर्ष बाद देने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतएव उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.04.2006 की कंडिका–2 में "**सहायक शिक्षक**" को प्रथम कमोन्नति 10 वर्ष बाद एवं द्वितीय कमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान की जाए।

3/ उपरोक्त निर्णय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कमोन्नति की देयता तिथि के अनुसार केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाएगा एवं किसी प्रकार के एरियर्स देय नहीं होंगे।

4/ यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–2017–01–01093 दिनांक 09.02.2017 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

10/3/17
(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

पृ. क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 नया रायपुर, दिनांक 10 /03/2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर,
3. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर,
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
7. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
11. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर,
12. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर,
13. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
15. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा, कक्ष–9, मंत्रालय, नया रायपुर,
16. एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु प्रेषित,
17. समस्त कोषालय अधिकारी वित्त/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/3/17

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग.
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 15/11/2014

क्रमांक/पंचा–411/पंग्राविवि/22/2014/8255/– इस विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत उन शिक्षाकर्मियों को, जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और 10 वर्ष सेवा पूर्ण हो चुकी है, क्रमोन्नति वेतन मान स्वीकृत किया गया था।

विभाग के आदेश क्र. एफ 6–36/पंग्राविवि/22–2/2013, दिनांक 17.05.2013 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 01.05.2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

आदेश दिनांक 17.05.2013 के तहत शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 02.11.2011 में जारी क्रमोन्नति वेतनमान बाबत आदेश की प्रासंगिकता नहीं रह गई है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करती है।

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत दिनांक 22.10.2014 एवं वित्त विभाग के क्र. 33/वि.स.वित्त विभाग, दिनांक 25.10.2014 द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर जारी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रे[illegible] राजपूत [illegible])
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(15)

--2--

पृ.क्रमांक/पंचा–411/पंग्राविवि/22/2014/9245 नया रायपुर, दिनांक 14/11/2014

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
2. विशेष सहायक/निज सहायक, मान. मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन।

---

1. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
6. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

14/11/2014

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 02/11/2011

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094/– राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत उन शिक्षाकर्मियों को जिनकी पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है और उनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें निम्नानुसार क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करता है :–

क्रमांक	शिक्षाकर्मी वर्ग	वर्तमान वेतनमान	क्रमोन्नति वेतनमान
1.	वर्ग – 01	रूपये 5300–150–8300	रूपये 6800–200–10800
2.	वर्ग – 02	रूपये 4500–125–7000	रूपये 5300–150–8300
3.	वर्ग – 03	रूपये 3800–100–5800	रूपये 4500–125–7000

यह आदेश दिनांक 01.11.2011 से प्रभावशील होगा।

उक्त आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

02/11/11

(देवाशीष दास)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1095 रायपुर, दिनांक 02/11/2

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

---

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।

10. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. समस्त संयुक्त/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02/x1/x1

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

40

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./पंचा./पंग्राविवि/22/2015/37 नया रायपुर, दिनांक 28/04/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत छत्तीसगढ़

विषय :- शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (शिक्षाकर्मियों) को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने बाबत्।

--00--

पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 प्रभावशील रहा है। इस भर्ती नियम के तहत् जिला पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 01 एवं वर्ग 02 तथा जनपद पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति का प्रावधान रहा है।

2- विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (शिक्षाकर्मियों) को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया, जो दिनांक 01.11.2011 से प्रभावशील हुआ।

3- विभाग आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/3597, दिनांक 01.05.2012 को शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने की स्वीकृती प्रदान की गई, जो दिनांक01.04.2012 से देय है।

4- विभाग के आदेश क्रमांक [illegible] 22-2[illegible] 2013, दिनांक [illegible].05.2013 द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिनांक 01.05.2013 से स्वीकृत किया गया है।

5- विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा.-4[illegible]/पंग्राविवि/22/2014, दिनांक 14.11.2014 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत् शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में आदेश जारी किया गया

है। इस आदेश के तहत् राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया। अर्थात् दिनांक 01.11.2011 का क्रमोन्नति आदेश दिनांक 30.04.2013 तक प्रभावशील रहा है।

उपरोक्त दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन कर्मचारियों को नियमों के तहत् क्रमोन्नति वेतनमान में देय स्वत्वों की पात्रता होगी।

(शिवा राजपूत तिवारी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./पंग्राविवि/22/2015/38 नया रायपुर, दिनांक 28/04/2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ।

---

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग